

PS

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 1442—1446

Dated: 22-11-2014

**पोत परिवहन मंत्रालय
MINISTRY OF SHIPPING**

(दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2014

सा.का.नि. 244.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रकाशस्तंभ और प्रकाशपोत विभाग (ज्येष्ठ निजी सहायक) भर्ती नियम, 1990 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया जाना है पोत परिवहन मंत्रालय, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय में निजी सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पोत परिवहन मंत्रालय, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय (निजी सचिव) भर्ती नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या उनसे संलग्न वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाब, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्याप्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

(2)

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निजी सचिव	1*(2014) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	नहीं	नहीं

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)

प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति:-

वेतन बैंड 2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. में ऐसे आशुलिपिक श्रेणी-1 जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है।

प्रोन्नति विभाग द्वारा यथा विहित निजी सचिव के पद पर प्रोन्नति के लिए आवश्यक प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा किए जाने के अध्वधीन होगी।

ऐसे व्यक्ति जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं, ऐसे प्रशिक्षण को पूरा करने से छूट प्राप्त होंगे।

परन्तु उन व्यक्तियों पर भी जिन्होंने विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की तारीख से पूर्व प्रोन्नति के लिए प्रशिक्षण पूरा नहीं किया है, इस शर्त के अधीन रहते हुए विचार किया जाएगा कि अपेक्षित प्रशिक्षण विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की तारीख के एक वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।

टिप्पण: 1-जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसे अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या

दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले अथवा उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

1. महानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय—अध्यक्ष
2. प्रशासनिक अधिकारी, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय —सदस्य
3. अवर सचिव (नौचालन, पोत और दीपस्तंभ), पोत परिवहन मंत्रालय —सदस्य

[फा. सं. 3/2/2013-प्रशा. I]

कैप्टन ए. एम. सूरज, महानिदेशक दीपस्तंभ और दीपपोत

(DIRECTORATE GENERAL OF LIGHTHOUSES AND LIGHTSHIPS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2014

G. S. R. 244.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Lighthouses and Lightships (Senior Personal Assistant), Recruitment Rules, 1990, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Private Secretary in the Directorate General of Lighthouses and Lightships Ministry of Shipping, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Shipping, Directorate General of Lighthouses and Lightships (Private Secretary) Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(4)

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.— The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may in consultation with the Union Public Service Commission, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Private Secretary	1* (2014) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'B', Gazetted Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300— 34,800 with grade pay of Rs. 4600	Selection	Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruits			Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any
(7)			(8)		(9)
Not applicable			No		Nil

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion/or deputation/absorption to be made

(10)

(11)

By promotion

Promotion :

Stenographer Grade-I in the pay band-2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200 with five years' regular service in the grade.

Promotion shall be subject to successful completion of mandatory training for promotion to the post of Private Secretary as prescribed by the department.

Those persons who are due to retire shall be exempted from completion of such training:

Provided that those persons who have not completed training for promotion before the date of meeting of Departmental Promotion Committee shall also be considered subject to condition that the required training shall be completed within one year of the date of meeting of Departmental Promotion Committee.

Note 1: Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the, requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay band or grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.

4698 Slip/14-2

If a Departmental Promotion Committee exists,
what is its composition

Circumstances in which Union Public
Service Commission is to be consulted in
making recruitment

(12)

(13)

**Group 'B' Departmental Promotion Committee
(for considering promotion) consisting of :**

Consultation with Union Public Service
Commission is not necessary.

1. Directorate General of Lighthouses and
Lightships —Chairman
2. Administrative Officer Directorate General
of Lighthouses and Lightships —Member
3. Under Secretary (Sailing Vessels and
Lighthouses) Ministry of Shipping —Member

[F.No. 3/2/2013-Admn-I]

CAPT. A. M. SUREJ, Director General of Lighthouses
and Lightships